

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1419

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खनिकों के लिए सुरक्षा मानक

1419. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खनिकों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार करने तथा ब्लैक लंग रोग जैसे व्यवसायगत जोखिमों को कम करने के लिए कौन से विशिष्ट कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के आस-पास रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों में ढह जाने या विस्फोट होने आदि जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं या व्यवसायगत रोगों से प्रभावित होने वाले खनिकों के लिए मुआवजा योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या कोयला खनिकों के लिए व्यवसायगत जोखिमों और सुरक्षा प्रथाओं संबंधी कोई नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए कोयला कामगारों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम और सांविधिक प्रावधानों तथा व्यवसायिक जोखिम को कम करने संबंधी अनुपालन निम्नानुसार किए जाते हैं:

1. खान अधिनियम, 1952, खान नियम 1955, खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966, खान बचाव नियम, 1985, खान क्रेच नियम, 1966 और कोयला खान विनियम 2017 के तहत वैधानिक प्रावधानों, कोयला खानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम और स्थायी आदेशों का अनुपालन।
2. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी), मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी), आचार संहिता (सीओपी) और आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना (ईआरईपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।
3. खान-विशिष्ट परिवहन, यातायात नियमों को तैयार करना और लागू करना। हैवी अर्थ मूविंग मशीन प्रचालकों को सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. आभासी वास्तविकता (वीआर) आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण। टूल बॉक्स सेफ्टी टॉक, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले प्री-शिफ्ट सेफ्टी ब्रीफिंग, व्यक्तिगत और परिवार परामर्श आधारित संवेदीकरण कार्यक्रम।
5. राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा की निगरानी करना।
6. कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु-विषयक सुरक्षा लेखा परीक्षा दलों के माध्यम से खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा संचालित करना।
7. काले फेफड़ों के रोग से पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरियां प्रदान की जाती हैं, जैसे कि सतह और बिना धूल वाले काम करने वाले स्थानों में और नियमित रूप से धूल मुक्त गैर-जोखिम वातावरण में रखा जाता है और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) केंद्रों में हर साल एक बार आवधिक चिकित्सा परीक्षा जांच की जाती है।

(ख) : केन्द्र सरकार ने निकटवर्ती आबादी पर कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन नहीं किया है। तथापि, प्रारंभिक चरण में, सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन किए जाते हैं और उसके आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है और सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक थर्मल पावर स्टेशन के लिए, पर्यावरणीय मापदंडों, वायु गुणवत्ता (सीओ 2, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड), तापमान, आदि की निरंतर निगरानी के लिए प्रावधान है। आसपास के समुदायों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) : कोयला कंपनियों द्वारा कोयला खानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं ताकि ढह जाने अथवा विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके -

1. सभी कोयला खदानों की वैज्ञानिक रूप से योजना बनाई जाती है और विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा डिजाइन की जाती है, जैसे कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई), जो भू-तकनीकी और भू-खनन स्थितियों के आधार पर संरचनात्मक स्थिरता और किसी भी खान या उसके हिस्सों के समय से पहले ढहने को रोकने को सुनिश्चित करता है।

2. यंत्रीकृत ओपनकास्ट खान शुरू करने से पहले, कार्य विधियों, अंतिम गड्ढे ढलान, डंप ढलान और ढलान स्थिरता निगरानी, वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध और एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक / अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार डिजाइन किया जाता है।

3. भूमिगत खानों में, कोयला खान विनियमन संख्या 104 के तहत विस्तृत विशेषज्ञ वैज्ञानिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन (अध्ययनों) के आधार पर स्ट्रेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान (एससीएमपी) तैयार किया जाता है। उक्त एससीएमपी में एक अनुमोदित सहायता योजना शामिल है, जिसमें प्रत्येक कार्य स्थल के लिए प्रकार, विनिर्देश और सहायता शामिल हैं। सहायता योजना में समर्थन निष्पादन की निगरानी, स्तरों के व्यवहार का मापन, समर्थनों का पुन निर्धारण, अस्थायी सहायता का प्रावधान, पुरानी सहायता का प्रतिस्थापन, सहायता वापस लेना आदि भी शामिल है।

4. खानों में स्ट्रेटा विफलता और डंप विफलताओं और विस्फोटों हेतु प्रधान जोखिम प्रबंधन योजनाओं (पीएचएमपी) सहित साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन।

5. विस्फोट, ज्वलनशील गैसों से बचने के लिए खान पर्यावरण की निगरानी के लिए तंत्र:

- मिथेनोमीटर, सीओ-डिटेक्टर, मल्टी-गैस डिटेक्टर आदि द्वारा खान गैसों का शीघ्र पता लगाना।
- पर्यावरणीय टेली मॉनिटरिंग सिस्टम (ईटीएमएस) और लोकल मीथेन डिटेक्टरों (एलएमडी) आदि को संस्थापित करके खान पर्यावरण की निरंतर निगरानी।
- बेहतर सटीकता के साथ खान वायु नमूना विश्लेषण के लिए गैस क्रोमैटोग्राफ का अनुप्रयोग।
- सीएमआर- 2017 की विनियम सं. 137 के अनुसार स्वतः तापन हेतु एहतियाती उपाय करना

(घ) : रोजगार में और उसके दौरान हुई किसी खान दुर्घटना में मारे गए मृतक कर्मचारी के आश्रित को निम्नलिखित मुआवजा दिया जाता है

1. मुआवजा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (मूल अधिनियम) के आज तक यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
2. मृत कर्मचारी के आश्रित को विशेष राहत/अनुग्रह राशि के रूप में ₹15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। यह कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (यथा संशोधित) के तहत देय मुआवजे के अतिरिक्त है।
3. जीवन बीमा योजना (एलसीएस) के तहत मौद्रिक लाभ नवीनतम राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) के प्रावधानों के अनुसार मृतक विभागीय कर्मचारी के आश्रित को प्रदान किए जाते हैं।
4. नवीनतम एनसीडब्ल्यूए के प्रावधानों के अनुसार, रोजगार में और उसके दौरान दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।
5. मृत विभागीय कर्मचारी के पात्र आश्रित को रोजगार प्रदान किया जाता है। यदि परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए अर्हता प्राप्त नहीं है तो रोजगार के बदले मृतक के परिवार को मासिक मौद्रिक मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ङ) : खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली (एमवीटीआर)-1966 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
